



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032023-244402
CG-DL-E-15032023-244402

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 14, 2023/फाल्गुन 23, 1944

No. 141]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 14, 2023/PHALGUNA 23, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2023

सा.का.नि. 180(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में और अधिक संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिनमें केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

2. विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (... .. संशोधन) नियमावली, 2023 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों के अतिरिक्त होते हुए भी ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) में, नियम 2 के उप-नियम (प) के लिए निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(प)" इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन" से तात्पर्य है, एक या एक से अधिक विद्युत ऊर्जा संग्रहण डिवाइस (जैसे एक बैटरी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल फ्लाइव्हील या सुपर कैपेसिटर), एक या अधिक इलेक्ट्रिक पावर कंडीशनिंग डिवाइस और वाहन को चलाने के पहियों के लिए संग्रहीत विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली एक या अधिक इलेक्ट्रिक मशीनों से बना एक तंत्र।

(पक) "विशुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन" से तात्पर्य केवल इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन द्वारा शक्तियुक्त वाहन है;

बशर्ते कि यदि नियम 126 में विनिर्दिष्ट किसी परीक्षण एजेंसी द्वारा निम्नलिखित सभी शर्तें सत्यापित और प्राधिकृत किए जाने तक किसी विशुद्ध इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन को एक मोटर यान नहीं माना जाएगा, अर्थात् -

(क) वाहन 0.25 किलोवाट से कम की तीस मिनट शक्ति वाली विद्युत मोटर से लैस है;

(ख) वाहन की अधिकतम गति 25 किमी प्रति घंटे से कम है;

(ग) वाहन में यथोचित ब्रेक और रीट्रो परावर्तक डिवाइस अर्थात्, एक सफेद परावर्तक आगे और एक परावर्तक पीछे लगा है;

(घ) वाहन का बिना लदान भार (बैटरी के भार को छोड़कर) 60 किलोग्राम से अधिक नहीं है।

(ङ) उपरोक्त के अतिरिक्त, एक ऑक्सीलरी इलेक्ट्रिक मोटर से लैस पैडल की सहायता से चलने वाले वाहन के मामले में मोटर की 30 मिनट शक्ति 0.25 किलोवाट से कम है और यदि साईकिल चालक पैडल चलाना बंद करता है तो इसका आऊटपुट धीरे-धीरे कम हो जाता है और अंततः वाहन के 25 किलो मीटर प्रति घंटा की गति पर पहुंचने पर या जल्द ही शक्ति समाप्त हो जाती है।

स्पष्टीकरण- मोटर की तीस मिनट की शक्ति को एआईएस :049-2003 में परिभाषित किया गया है और सत्यापन की विधि एआईएस: 0412003 में विनिर्दिष्ट की गई है।

(पख) "हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (एचईवी)" से तात्पर्य एक ऐसा वाहन है, जो यांत्रिक संचालक शक्ति के प्रयोजनार्थ संग्रहीत ऊर्जा/शक्ति का वाहन के निम्नलिखित दोनों स्रोतों से ऊर्जा लेता है:

क. एक उपभोग्य ईंधन;

ख. एक बैटरी, कैपेसिटर, फ्लाइव्हील/जेनरेटर या अन्य इलेक्ट्रिकल ऊर्जा/पावर स्टोरेज डिवाइस;

(पग) "मजबूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (मजबूत एचईवी)" से तात्पर्य है एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन, जिसमें 'स्टॉप-स्टार्ट' व्यवस्था, 'इलेक्ट्रिक रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम' और 'मोटर ड्राइव' (केवल मोटर ही वाहन को स्थिर स्थिति से आगे बढ़ाने में सक्षम है) हैं;

(पघ) "प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (पीएचईवी)/विस्तारित रेंज के इलेक्ट्रिक वाहन (आरईईवी)" से तात्पर्य है, एक 'मजबूत एचईवी' वाहन, जिसमें एक 'दोबारा चार्ज करने योग्य ऊर्जा संग्रहण तंत्र' के 'ऑफ व्हीकल चार्जिंग' (ओवीसी) के लिए प्रावधान है।

(पड.) "पेरिलल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन" से तात्पर्य है, कोई भी वाहन, जिसमें या तो कंबशन इंजन और/या दोबारा चार्ज करने योग्य ऊर्जा संग्रहण तंत्र वाली इलेक्ट्रिक मोटर से पहिए चलाने के लिए शक्ति प्रदान की जाती है।

(पच) "सीरीज हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन" से तात्पर्य है, कोई भी वाहन जिसमें केवल दोबारा चार्ज करने योग्य ऊर्जा संग्रहण तंत्र वाली इलेक्ट्रिक मोटर से पहिए चलाने के लिए शक्ति प्रदान की जाती है, लेकिन जिसमें दोबारा चार्ज करने योग्य ऊर्जा संग्रहण तंत्र और/या इलेक्ट्रिक मोटर को शक्ति प्रदान करने के लिए कंबशन इंजन का उपयोग भी शामिल होता है।

(पछ) "सीरीज पेरिलल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन" एक पेरिलल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन है, जिसमें दोबारा चार्ज करने योग्य ऊर्जा संग्रहण तंत्र और/या इलेक्ट्रिक मोटर को शक्ति प्रदान करने के लिए कंबशन इंजन हेतु एक तंत्र भी शामिल है।"

[फा. सं. आरटी-11036/71/2022-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण—मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590 (अ), दिनांक 02 जून, 1989 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या(अ) दिनांक के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2023

G.S.R. 180(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

2. The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2023.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (herein after referred as the said rules), in rule 2, for sub-rule (u), following shall be substituted namely:

"(u) "Electric power train" means a system consisting of one or more electric energy storage devices (e.g. a battery, electromechanical flywheel or super capacitor), one or more electric power conditioning devices and one or more electric machines that convert stored electric energy to mechanical energy delivered at the wheels for propulsion of the vehicle;

(ua) "Pure electric vehicle" means vehicle powered by an electric power train only;

Provided that a two wheeled pure electric vehicle shall not be deemed to be a motor vehicle if all the following conditions are verified and authorized by any testing agency specified and authorized by any testing agency specified in Rule 126, namely.-

(a) Vehicle is equipped with an electric motor having thirty-minute power less than 0.25 KW;

(b) Maximum Speed of the vehicle is less than 25 Kmph;

(c) Vehicle is fitted with suitable brakes and retro reflective devices, i.e one white reflector in the front and one reflector at the rear;

(d) Unladen weight (excluding battery weight) of the vehicle is not more than 60 Kgs;

(e) In case of a pedal assisted vehicle equipped with an auxiliary electric motor, in addition to above, the thirty minute power of the motor is less than 0.25KW, whose output is progressively reduced and finally cut off as the vehicle reaches the speed of 25km/hr, or sooner, if the cyclist stops pedaling.

Explanation.- The thirty minute power of the motor is defined in AIS :049-2003 and method of verification is prescribed AIS:0412003.

(ub) "Hybrid electric vehicle (HEV)" means a vehicle, that, for the purpose of mechanical propulsion, draws energy from both of the following on-vehicle sources of stored energy/ power:

- a. a consumable fuel;
- b. a battery, capacitor, flywheel/generator or other electrical energy/power storage device;

(uc) "Strong Hybrid Electric Vehicle (Strong HEV)" means a Hybrid Electric Vehicle which has a 'Stop-start' arrangement, 'Electric Regenerative braking system' and a 'Motor Drive' (motor alone is capable to propel the vehicle from a stationary condition);

(ud) "Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)/ Range Extended Electric Vehicle (REEV)" means a 'Strong HEV' vehicle which has a provision for 'Off Vehicle charging' (OVC) of 'Rechargeable Energy Storage System'.

(ue) "Parallel Hybrid Electric Vehicle" means any vehicle which allows power to be delivered to the driven wheels by either a combustion engine and/or by a Rechargeable Energy Storage System powered electric motor.

(uf) "Series Hybrid Electric Vehicle" means any vehicle which allows power to be delivered to the driven wheels solely by a Rechargeable Energy Storage System powered electric motor, but which also incorporates the use of a combustion engine to provide power to the Rechargeable Energy Storage System and/or electric motor.

(ug) "Series Parallel Hybrid Electric Vehicle" is a Parallel Hybrid Electric Vehicle which additionally incorporates a system for the combustion engine to provide power to the Rechargeable Energy Storage System and/or electric motor."

[No. RT-11036/71/2022-MVL]
MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note—The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. _____(E) dated _____.